

बिहार सरकार
पर्यटन विभाग
कार्यालय आदेश


(10)

संचिका सं०-प०विधि-04/2011.....75.....

पटना, दिनांक. 29-8-13

13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में अधिसूचित "बिहार राज्य मुकद्दमा नीति-2011" के कंडिका 2.4 (ख) एवं 4(क) 5 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत पर्यटन विभाग, बिहार (पटना) में आदेश संख्या 10 Dt. 06.02.2012 द्वारा "विभागीय स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति" एवं "विभागीय स्तरीय शिकायत निवारण समिति" का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष डी०के० श्रीवास्तव, पर्यटन निदेशक एवं सदस्य सचिव श्री विजय मोहन नागपटनी, प्रशाखा पदाधिकारी, पर्यटन को बनाया गया था।

उक्त दोनों पदाधिकारियों का अन्यत्र स्थानांतरण के फलस्वरूप उपर्युक्त दोनों गठित समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के रूप में क्रमशः पर्यटन निदेशक, बिहार (पटना) एवं प्रशाखा पदाधिकारी, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना को नामित किया जाता है। गठित समिति के अन्य सदस्य एवं शर्तें यथावत् रहेंगे।




विशेष सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापक:- प०विधि-04/11.....2922.....

पटना, दिनांक. 29-8-13

प्रतिलिपि:-विद्वान महाधिवक्ता, बिहार उच्च न्यायालय, पटना/सभी सचिव/विभागाध्यक्ष/सचिव, विधि विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/मा० मंत्री, पर्यटन एवं सचिव पर्यटन के आप्त सचिव/सभी संबंधित पदाधिकारियों/संयुक्त पर्यटन निदेशक, पर्यटन निदेशालय/महाप्रबंधक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम/सभी प्रभारी अधिकारी, पर्यटक सूचना केन्द्र, पर्यटन निदेशालय/सभी शाखा प्रभारी पर्यटन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



विशेष सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।